विद्युत लोकपाल
मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग
पंचम तल, ''मेट्रो प्लाज़ा'', बिट्टन मार्केट, अरेरा कालोनी, भोपाल

प्रकरण क्रमांक L00-03/2020

मे0 डिजाईनको मेन्युफेक्चर एण्ड एक्सपोर्ट,
द्वारा – श्री राजीव मलिक पुत्र स्व0 श्री धर्मपाल सिंह मलिक,
मोर्दाबाद, ग्राम – अलीसोरिया,
अरनियाकला, तहसील – कालापीपल,
जिला – शाजापुर (म0प्र0) – 465331

विरूद्ध

मुख्य यंत्री (यू0आर0),
म.प्र. पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लि.,
उज्जैन (म.प्र.) – 456001

अधीक्षण यंत्री (संचा/संधा) वृत्त,
म.प्र. पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लि.,
शाजापुर (म.प्र.) – 465001

आदेश

(दिनांक 30.09.2020 को पारित)

01. आवेदक मे0 डिजाईनको मेन्युफेक्चर एण्ड एक्सपोर्ट, द्वारा – श्री राजीव मलिक पुत्र स्व0 श्री धर्मपाल सिंह मलिक, मोर्दाबाद, ग्राम – अलीसोरिया, अरनियाकला, तहसील – कालापीपल, जिला – शाजापुर (म0प्र0) ने अपने अधिकृत अधिवक्ता श्री हरेन्द्र जैन द्वारा विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, इन्दौर एवं उज्जैन क्षैत्र के प्रकरण क्रमांक W0437419 में मे0 डिजाईनको मेन्युफेक्चर एण्ड एक्सपोर्ट विरूद्ध मुख्य यंत्री (यू0आर0) म.प्र. पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, उज्जैन एवं अधीक्षण यंत्री (संचा./संधा.) वृत्त म.प्र. पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, शाजापुर में दिनांक 13.11.2019 को पारित आदेश के विरूद्ध लिखित अपीलीय अभ्यावेदन प्रस्तुत किया है जो दिनांक 29.01.2020 को प्राप्त हुआ । विद्युत लोकपाल द्वारा प्रस्तुत अपील ग्राह्य कर प्रकरण क्रमांक एल00–03/2020 पर दर्ज की गई है ।

आवेदक अधिवक्ता ने अपने लिखित अपीलीय अभ्यावेदन के साथ निम्न दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं –

List of documents enclosed :

S.No.	Documents	Page No.
1.	Copy of authority letter dated 20.01.2020	**13-13**
2.	Copy of impugned order dated 13.11.2019 along with receiving envelops	**14-35**
3.	Copy of the representation filed before forum dated 30.07.2019	**36-53**
4.	Copy of reply filed by Distribution Company & Licensee dated 04.09.2019	**54-76**
5.	Copy of disconnection letter dated 21.09.2019	**77-78**
6.	Copy of deposit receipt of amount paid under protest for amount.	**79-79**
7.	Copy of report of manufacturing company of meter "Secure"	**80-89**

i. Particulars of Connection / Consumer Account No.

Consumer Code No. 2866781740 HT temp. HV-3.1

Nature of the Connection :

Consumer being engaged in business of producing electricity through solar power, requires supply of electricity when solar plant does not work during night hours or any time when it does not work, thus has opted for a HT connection for its solar plant having capacity of 5 MW.

ii. Date of representation by the Consumer to the Distribution Center / Licensee/ Forum :

Date : 30.07.2019 (Copy of representation is attached)

iii. Subject matter of the representation :

Bill of January, 2019 of Rs.7,77,483/-, which is against the average monthly of Rs. Rs. 70,000/- per month for average MD consumption of 30 KVA.

Being aggrieved by the same consumer approach Electricity Consumer Grievance Redressal Forum, Indore & Ujjain region, wherein a Case bearing No. WO437419 has been.

iv. **Details of the representation** :

The consumer humbly prefers this representation asunder :-

1. Consumer is a partnership firm in the name and style of *M/s Designco*, having its registered office at Galshaheed, Moradabad (U.P.), engaged in business of producing electricity through Solar Power project for State of Madhya Pradesh, through M.P. Power Management Company Ltd. under their Power Purchase Agreement at Village Alisariya, Arniyakalan, Tahsil Kalapipal, District Shajapur (M.P.)

2. Consumer being engaged in business of producing electricity through solar power, requires supply of electricity when solar plant does not work during night hours or any time when it does not work, thus has opted for a HT connection for its solar plant having capacity of 5 MW.

3. Aforesaid connection has been availed since May, 2018, wherein billing is being done with temp tariff applicable for energy charges and fix charges on actual recorded consumption with HV 3.1 tarif.

   The month wise consumption (May,2018 to June, 2019)is tabulated below :-

Month	MD	KWH unit	RKVAH	P.F.	Total Amt.
May,18	32	2580	25320	0.54	55,205/-
Jun,18	36	2940	21980	0.56	60,753/-
July,18	24	3460	9100	0.66	54,484/-
Aug,18	24	3460	8300	0.59	54,268/-
Sept,18	24	3580	18060	0.61	59,339/-
Oct,18	36	3900	30960	0.51	74,259/-
Nov,18	40	4280	24520	0.61	79,445/-
Dec,18	28	4180	16020	0.77	63,547/-
Jan,19	1120	4960	29880	0.75	7,77,483/-
Feb,19	32	4100	30700	0.74	80,930/-
Mar,19	28	3940	38320	0.6	81,236/-

Apr,19	32	3400	33960	0.55	77,492/-
May,19	28	3460	33020	0.62	75,315/-
Jun,19	28	3360	24860	0.6	72,536/-

It is submitted that from a bare perusal of the consumption in the aforesaid table it is seen that monthly MD recorded is between 24 to 40 KVA, averaging around 30 KVA, except for the Month of January, 2019 where jump to all time high of 1,120 MD.

4. In pursuance to the aforesaid Distribution Center / Licensee issued bill of January, 2019 to the tune of Rs.7,77,483/- to Consumer.

5. Consumer registered its grievance before Distribution Center, stating that their monthly consumption MD is 30 KVA, which comes to monthly bill of Rs. 70,000/- per month. It has been also averred that electricity generated by their 5 MW solar plaint is being supply to the grid by laying a separate 33 feeder from their plant and connected to 132 KVA Arniakala Grid.

6. Being aggrieved by the same the Consumer approach Electricity Consumer Grievance Redressal Forum, Indore & Ujjain region, wherein a Case bearing No. WO437419 has been.

7. The case filed by the Consumer was contested by the Distribution Center / Licensee by filing their reply.

8. It is submitted that during the pendency of the aforesaid complainant, on 28.09.2019 Distribution Center / Licensee disconnected the connection of the Consumer plant in pursuance to disconnection notice dated 21.09.2019, which was received by Consumer on 04.10.2019 through email, wherein the last date for disconnection was fixed for 06.10.2019.

It is pertaining to mention here that Distribution Center / Licensee disconnected the connection even before the expiry date, therefore, the Consumer under protest paid Rs.7,64,479/- for restoration of connection.

9. Thereafter, the learned Forum vide impugned order dated 13.11.2019 rejected the complaint filed by the Consumer.

10. Being aggrieved by the rejection of the complaint filed by the Consumer, as well as against impugned bill of January, 2019 the present appeal / representation is being preferred by the Consumer before the Hon'ble on following amongst other grounds :

11. **GROUNDS FOR APPEAL / REPRESENTATION**

i. Because, the learned Forum have grossly erred in rejecting the complaint filed by the Consumer, without considering the fact that monthly consumption recorded since taking HT connection from May, 2018 is between 24 to 40 KVA, averaging to 30 KVA per monthly, except for the month for January, 2019, wherein the MD recorded by the meter is 1,120 KVA, which is by far way higher than then monthly average.

It is submitted that the Consumer is in business of producing electricity through its solar plant, and required electricity through HT connection only when the solar plant in not able to function i.e. in night or in some other circumstance and in no stretch and bound they required heavy consumption, which will shoot to 1,120 KVA.

ii. Because, the learned forum have committed great illegality of law and fact in dismissing the complainant filed by the Consumer and passing the impugned order without proper application of mind.

It is submitted that the Learned forum should have considered that the use of electricity to run a solar power plant is very limited, i.e. back charging of inverters & transformer, CC TV camera, lighting at night and etc., so the monthly consumption of the plant is very low as evident from the monthly average of use of 30 MVA.

iii. Because, the learned Forum have committed a grave error in not considering the fact that the electricity generated at 5 MW Solar Plant of Consumer is being supply to the grid by laying a separate 33 KV feeder from their plant and connected to 132 KVA Arniakala Grid.

It is submitted that the transformer installed for drawl power from Company for the use of the Consumer is having capacity of 50 KVA i.e. for auxiliary use, as evident from monthly use of 24 to 40 KVA. Therefore, it is not possible to use such huge power by the Consumer, while their use is limited to only around 30 KVA per month, as the Consumer is neither having industrial nor commercial load in their premises.

iv. Because, the learned forum have committed grave error of law and facts in drawing a negative inference and dismissing the complaint of the Consumer at threshold despite of the fact that in the present case neither Distribution Center / Licensee nor the Consumer are not in position to determine the exact cause of the high load recorded by the meters.

It is submitted that in case of failure on the part of the Distribution Center / Licensee in showing the exact cause of

heavy load recorded by the meter, as compared with the average consumption record of 30 KVA monthly. In light of average consumption record the inference should have been drawn in favour the complainant - Consumer.

v. Because, the learned forum have committed illegality in observing that the meter correctly recorded 1120 KVA MD in month of January, 2019, by relying upon report of meter manufacturing company i.e. M/s Secure Company. It is submitted that the report submitted on 07.11.2019 by Distribution Center / Licensee before the forum do not have actual test report. It was only an analytical submission given by the meter manufacturing company 'Secure'.

It is pertinent to mention that even if the same could not have been considered, as the said finding based upon the report is grossly against the basis principle of law i.e. to acquit any accused on the testimony of his mother.

vi. Because, the learned forum has committed illegality in not calling for report of meter testing from any independent agency.

It is submitted that even if the authenticity of the report could not have been verified from some other agency as between 09.01.2019 to 01.02.2019 all the meters of plant have been formatted by the official of the Distribution Center / Licensee and new software loaded and installed in the meter with reading zero, which create suspicion and doubt.

vii. Because, the learned forum committed a grave illegality in not considering the fact that even the manufacturing company in its test report has categorically stated that the high MD was lodged due to external reason such as malfunctioning of capacitor bank or external device.

viii. Because, the learned forum have erred in not considering the malafide conduct of the Distribution Center, wherein during the pendency of the dispute before the forum Distribution Center / Licensee despite the instruction of forum during hearing on 27.08.2019 in presence of representative of Distribution Center, they forced Consumer to pay the disputed amount in question by disconnecting the electricity connection of Consumer, due which Consumer suffered huge monetary loss.

It is submitted that Distribution Center / Licensee issued notice of disconnection on 21.09.2019, which was served upon to Consumer on 04.10.2019 through email, wherein the date of disconnection is given for 06.10.2019. But to the Consumer's dismay and surprise, disconnected the connection on 28.09.2019, thereby forcing Consumer to pay for restoration of connection, hence on 01.10.2019 Consumer forcefully under protest paid Rs. 7,64,479/-.

ix Because, the findings recorded by the forum to the effect that on problem was found in meter, based upon the report of Manufacturing Company of the meter, are based on illegal assumptions, conjectures and surmises.

x. Because, the impugned order passed by Learned Forum is illegal, inoperative and without jurisdiction being against the provisions of law. It is submitted from the bare perusal of the order it would not be clear that the same has been passed with majority voting of members, as the same is required under Clause 3.17 of MPERC (Establishment of Forum and Electricity Ombudsman for Redressal of Grievances of the Consumers) (Revision - I) Regulation, 2009. Resultantly, the order impugned is contrary to the procedure to be followed by forum as per the Regulation. For ready reference the said clause has been enumerated as under :

> **"3.17** *All decisions of the Forum shall be on the basis of voting by majority of the Members present.The Forum may register consumer organizationand allow them to remain present during hearing.*"

xi. Because, the impugned order passed by Learned Forum and bill issued by Distribution Center / Licensee are even otherwise illegal, inoperative and without jurisdiction being against the provisions of law and being not in conformity with the principles laid down by the higher Courts and if allowed to stand will occasion failure of justice.

11. <u>Nature of relief sought from the Forum / Electricity Ombudsman</u>:

It is, therefore, humbly prayed that this appeal / representation may kindly be allowed and the impugned order dated 13.11.2019 passed by the learned forum be ordered to be set aside; while the Bill issued by Distribution Center / Licensee for the month of January, 2019 amounting to Rs.7,77,483 be ordered to be suitably revised / modified at around the amount of average of monthly bill i.e. Rs. 70,000/- in its entirety; and the amount deposited by the Consumer to Distribution Center / Licensee under protest i.e. Rs. 7,64,479/- be ordered to be refunded with interest thereupon and cost throughout.

12. Nature and extent of monetary loss, if any, claimed by the consumer (if any) by way of compensation :

Rs. 5.73 Lakhs along with interest accrued thereupon.

Due to the illegal disconnection faced by the consumer had faced huge losses (per day production of generation by plant is approx. 3500 units, per unit rate is Rs. 5.457 on daily basis). Therefore the consumer had sustained a loss of approx. Rs. 1.91 Lakh per day, and the plant was closed for 3 days (Rs. 5.73 Lakh).

02. प्रकरण में प्रथम सुनवाई दिनांक 12.02.2020 को नियत की जाकर उभयपक्ष को नोटिस जारी किए गए जिसमें आवेदक की ओर से आवेदक के अधिकृत अधिवक्ता श्री हरेन्द्र जैन उपस्थित ।

अनावेदक की ओर से अनावेदक प्रतिनिधि श्री एन0पी0 श्रीवास्तव, अतिरिक्त कार्यपालन यंत्री, कार्यालय अधीक्षण यंत्री (संचा./संधा.) मप्रपक्षेविविकंलि0 शाजापुर उपस्थित । अनावेदक प्रतिनिधि की ओर से अनावेदक अधीक्षण यंत्री (संचा./संधा.) मप्रपक्षेविविकंलि0 शाजापुर का पत्र क्रमांक 7320 दिनांक 11.02.2020 से सूचित किया गया कि अनावेदक को अपील की प्रति दिनांक 10.02.2020 को प्राप्त हुई तथा अत्यंत कम समय होने के कारण आज की सुनवाई में प्रस्तुत करने के लिए अपील का जवाबदावा नहीं बन पाया है, अतः प्रकरण में जवाबदावा प्रस्तुत किए जाने हेतु आगामी दिनांक प्रदान करने का कष्ट करें ।

आवेदक अधिवक्ता ने कथन किया कि फोरम का निर्णय पारित करते समय "Law of average billing" को अनदेखा किया है । इस नियम के अनुसार जिस माह में त्रुटिपूर्ण उच्चतम मांग रिकार्ड हुई हैं उसकी बिलिंग पूर्व वर्ष 3 माहों में दर्ज उच्चतम मांग के औसत के आधार पर किए जाने का निर्णय लिया जाना था । इसके साथ ही आवेदक का कथन है कि यदि प्रश्नाधीन मीटर जांच में सही पाया गया है तो अनावेदक द्वारा उसी मीटर को आवेदक के परिसर में पुनर्स्थापित क्यों नहीं किया जा रहा है ?

03. सुनवाई दिनांक 20.02.2020 को आवेदक की ओर से आवेदक के अधिकृत अधिवक्ता श्री हरेन्द्र जैन उपस्थित । अनावेदक की ओर से अनावेदक प्रतिनिधि श्री डी0 के0 श्रीवास्तव, कार्यपालन यंत्री (एस0टी0एम0) कार्यालय अधीक्षण यंत्री (संचा./संधा.) मप्रपक्षेविविकंलि0 शाजापुर उपस्थित।

अनावेदक प्रतिनिधि की ओर से प्रकरण में निम्न दस्तावेज संलग्न करते हुए लिखित प्रत्युत्तर प्रस्तुत किया गया —

01. अनावेदक की कम्पनी द्वारा आवेदक को भेजा पत्र क्रमांक 2430 दिनांक 13.03.2019 एवं 14.08.2019 की छायाप्रतियां ।

02. फोरम के समक्ष दिनांक 05.09.2017 को प्रस्तुत उत्तर की छायाप्रति ।

03. फोरम के समक्ष दिनांक 16.10.2019 को प्रस्तुत उत्तर की छायाप्रति ।

आवेदक अधिवक्ता ने पुनः कथन किया कि अनावेदक को प्रश्नाधीन माह जिसमें आवेदक की उच्चतम मांग त्रुटिपूर्ण दर्ज हुई हैं, की बिलिंग के लिए औसत खपत का आधार लिया जाना चाहिए था जो नहीं लिया गया ।

आवेदक अधिवक्ता ने आगे और कथन किया कि उनके द्वारा प्रकरण में और कोई कथन नहीं करना है न ही अपने पक्ष में कोई और साक्ष्य प्रस्तुत किया जाना है, अतः उनको अगली सुनवाई को उपस्थिति से मुक्त रखा जावे तथा अनावेदक द्वारा अपने पक्ष में प्रस्तुत दस्तावेज तथा कथनों के आधार पर माननीय लोकपाल द्वारा जो भी निर्णय लिया जावेगा वह उन्हें मान्य होगा।

अनावेदक प्रतिनिधि श्री श्रीवास्तव ने कथन किया कि मैन मीटर क्रमांक Y0351366 को परीक्षण हेतु निकाले जाने के उपरांत अभी कोई नया मीटर स्थापित नहीं किया गया है क्योंकि नया मीटर आवेदक उपभोक्ता द्वारा क्रय किया जाकर अनावेदक को उपलब्ध कराए जाना है । नए मीटर की अनुपस्थिति में वर्तमान में आवेदक परिसर में स्थापित चैक मीटर द्वारा दर्ज खपत के आधार पर बिलिंग की जा रही है । निकाले गए मीटर की जांच मैन्युफैक्चरिंग कम्पनी SEMS द्वारा की गई है, जिसमें मीटर की कार्यप्रणाली सही पाई गई है, अतः आवेदक की अपील का कोई आधार नहीं है और इसे निरस्त किया जाना ही न्यायोचित होगा ।

04. सुनवाई दिनांक 27.02.2020 को आवेदक की ओर से स्वेच्छा से कोई उपस्थित नहीं । अनावेदक की ओर से अनावेदक प्रतिनिधि श्री डी0 के0 श्रीवास्तव, कार्यपालन यंत्री, (एस0टी0एम0) मप्रपक्षेविविकंलि0, शाजापुर उपस्थित और उनके द्वारा अनावेदक कम्पनी के मुख्य अभियंता (वाणिज्य) के अधीक्षण यंत्री (संचा./संधा.), शाजापुर को संबोधित पत्र क्रमांक 7633 दिनांक 18.04.17 की प्रति प्रस्तुत की जिसके द्वारा आवेदक के 5 मेगावाट सोलर पावर प्रोजेक्ट के लिए सैद्धांतिक संयोजन स्वीकृति प्रदान की गई है । इसके साथ ही अतिरिक्त अधीक्षण यंत्री (एस0टी0) बिलिंग सेल की ओर से क्रमांक 2500 दिनांक 27.03.2019 से अधीक्षण यंत्री (वाणिज्य) को भेजी कार्यालयीन टीप की प्रति, आवेदक के सोलर प्लांट के लिए स्थापित मीटर S.NO. Y0351366 एवं S.NO. Y0351367 की परिसर से मीटर निकाले जाने की रिपोर्ट, साथ अधीक्षण यंत्री मीटर टैस्टिंग, उज्जैन द्वारा मेसर्स सेक्यूर मीटर्स लिमिटेड भोपाल को प्रेषित पत्र क्र0 976 दिनांक 28.09.2019 की प्रति जिसमें मीटर क्रमांक Y0351366 को टैस्ट किए जाने व टैस्ट रिजल्ट उपलब्ध कराए जाने हेतु निवेदन किया गया है तथा M/s SEMS की मीटर क्रमांक Y0351366 की Investigation Report SR 453813 दिनांक 31.10.2029 की प्रति प्रस्तुत की गई । इन दस्तावेजों के साथ दिनांक 20.02.2020 की पेशी में अनावेदक प्रतिनिधि की ओर से प्रस्तुत प्रत्युत्तर के स्थान पर अनावेदक का प्रत्युत्तर 2 प्रतियों में प्रस्तुत है । चूंकि पिछली सुनवाई में निर्देशित किया गया था कि प्रकरण में कोई भी लिखित कथन/प्रत्युत्तर केवल अनावेदक/विधिसम्मत रूप से नियुक्त प्रकरण के प्रभारी अधिकारी/अनावेदक के अधिकृत अधिवक्ता के हस्ताक्षर से ही मान्य किया जावेगा । चूंकि पिछली पेशी दिनांक 20.02.2020 में प्रस्तुत अनावेदक प्रतिनिधि का प्रत्युत्तर एवं आज प्राप्त अनावेदक स्वयं का प्रत्युत्तर अक्षरशः एक समान हैं अतः इसकी प्रति आवेदक को भेजा जाना आवश्यक नहीं पाया गया क्योंकि

अनावेदक प्रतिनिधि के प्रत्युत्तर की प्रति 20.02.2020 की सुनवाई में आवेदक के अधिवक्ता को व्यक्तिगत् रूप से उपलब्ध करवा दी गई थी ।

उक्त प्रत्युत्तर एवं दस्तावेज ग्राह्य ग्राह्य करने के अलावा अनावेदक प्रतिनिधि को सुनवाई में शामिल नहीं किया गया, क्योंकि न तो वे अनावेदक, न ही प्रकरण के विधिसम्मत नियुक्त प्रभारी अधिकारी, न ही अनावेदक के अधिकृत अधिवक्ता हैं । अगली सुनवाई में अनावेदक स्वयं और/या प्रकरण के विधिसम्मत नियुक्त प्रभारी अधिकारी और/या अनावेदक के अधिकृत अधिवक्ता ही सुनवाई में अनावेदक की ओर से भाग ले सकता है । श्री श्रीवास्तव को स्पष्ट रूप से निर्देशित किया जाता है कि अगली सुनवाई में अनावेदक स्वयं, प्रकरण के विधिसम्मत नियुक्त प्रभारी, और अनावेदक के अधिकृत अधिवक्ता ही सुनवाई में एकांगी या सयुक्त रूप से अनावेदक की ओर से उपस्थित हों ।

05. प्रकरण में अगली सुनवाई दिनांक 06.03.2020 को आवेदक की ओर से आवेदक अधिवक्ता श्री हरेन्द्र जैन उपस्थित । अनावेदक की ओर से अनावेदक प्रतिनिधि श्री संजय कनोजे, कार्यपालन यंत्री, (मीटर टैस्टिंग) मप्रपक्षेविविकंलि0, उज्जैन एवं श्री डी0 के0 श्रीवास्तव, कार्यपालन यंत्री, (एस0टी0एम0) मप्रपक्षेविविकंलि0, शाजापुर उपस्थित ।

अनावेदक प्रतिनिधि श्री संजय कनोजे, कार्यपालन यंत्री की ओर से मुख्य अभियंता, उज्जैन का आदेश क्रमांक 77 दिनांक 03.03.2020 के आदेश की प्रति प्रस्तुत जिसमें उन्हें प्रश्नाधीन प्रकरण में प्रभारी अधिकारी नियुक्त किया गया है ।

अनावेदक के प्रभारी अधिकारी द्वारा कार्यपालन निदेशक (वाणिज्य) इन्दौर के पत्र क्र. 21464 दिनांक 12.12.2016 की छायाप्रति प्रस्तुत की, जिसमें सोलर प्लांट के ग्रिड संयोजन हेतु 3 अलग–अलग इनर्जी मीटर स्थापित किए जाने की अनिवार्यता दर्शित है । इसके अनुसार एक मीटर मैन मीटर तथा दूसरा चैक मीटर का कार्य करेगा । यह दोनों मीटर सोलर प्लांट के परिसर में अलग अलग डी0पी0 स्ट्रक्चर पर स्थापित होंगे । तीसरा मीटर संबंधित 132 केवी उपकेन्द्र के इंजेक्शन पाईंट पर स्थापित किया जाना है ।

प्रभारी अधिकारी ने कथन किया आवेदक के सोलर प्लांट के लिए लगाए गए मीटरों में एक ही दिनांक को एक ही समय में समान उच्चतम मांग दर्ज हुई है अर्थात् आवेदक के परिसर में स्थापित मैन मीटर एवं चैक मीटर दोनों में 1120 केवीए तथा 132 केवीए उपकेन्द्र पर स्थापित मीटर में 1124 केवीए उच्चतम मांग दिनांक 09 जनवरी 2019 को शाम 6.00 से 6.15 के ब्लाक में दर्ज हुई है । उन्होंने तर्क प्रस्तुत किया कि कोई भी मीटर त्रुटि उत्पन्न होने पर मालफंक्शन कर सकता है, किन्तु स्थापित तीनों मीटर एक साथ और एक ही समय में मालफंक्शन नहीं कर

सकते। इनमें से मेन मीटर जिसके आधार पर बिलिंग की जा रही थी को मेन्युफैक्चरिंग कम्पनी सिक्योर मीटर्स लिमिटेड द्वारा टेस्ट किया गया है, जिसमें मीटर की कार्य–प्रणाली सुचारू पाई गई है । उनका आगे कथन है कि प्रारंभ से लेकर प्रश्नाधीन माह जनवरी 2019 सहित आज दिनांक तक तीनों स्थापित मीटरों की रीडिंग में एकरूपता है तथा कभी भी किसी भी एक मीटर की रीडिंग अन्य स्थापित मीटरों से अलग नही पाई गई है । इस आधार पर आवेदक का यह कथन कि माह जनवरी 2019 में मीटरों की त्रुटिपूर्ण कार्यप्रणाली के कारण उनकी एम0डी0 अधिक दर्ज हुई है तथा इस त्रुटि पूर्ण अधिकतम रीडिंग (एम.डी) के अनुसार इस माह की बिलिंग न करते हुए पूर्व के तीन माहों में दर्ज एम0डी0 के औसत के आधार पर किया जाना चाहिए पूर्णतः आधारहीन एवं असत्य होकर स्थापित नियमों के विरूद्ध होकर मान्य नहीं है क्योंकि केवल स्थापित मीटर की त्रुटिपूर्ण कार्यप्रणाली सिद्ध होने/पाए जाने पर ही म0प्र0 विद्युत प्रदाय संहिता 2013 की कण्डिका 8.35 के प्रावधान अनुसार औसत खपत के आधार पर बिलिंग की जा सकती है । अतः आवेदक की अपील सव्यय निरस्त किए जाने योग्य है ।

06. आवेदक अधिवक्ता तथा अनावेदक के प्रभारी अधिकारी दोनों द्वारा प्रकरण में आगे कुछ ओर कथन नहीं किए जाने तथा अन्य कोई साक्ष्य/जानकारी प्रस्तुत नहीं किए जाने के कथन पर प्रकरण में सुनवाई समाप्त कर आदेश हेतु सुरक्षित किया जाता है ।

07. आवेदक द्वारा प्रस्तुत अपील उभयपक्षों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर प्रकरण में निम्न निर्विवादित तथ्य प्राप्त होते हैं :–

(i) आवेदक उपभोक्ता ने अपनी अपील में उल्लेख किया है कि वह मे0 डिजाईनको मेन्युफेक्चर एण्ड एक्सपोर्ट एक भागीदारी फर्म होकर सौर उर्जा से विद्युत उत्पादन का व्यवसाय करती है जिसके लिए उसने म0प्र0 के शाजापुर जिले की कालापीपल तहसील के अलीसरिया अरनिया कला ग्राम में 5 मेगावाट क्षमता के सौर संयंत्र की स्थापना की है ।

(ii) रात्रि के समय या किसी और समय जब सौर संयंत्र कार्य नहीं करता है तब इनवर्टर और ट्रांसफार्मर की बेक चार्जिंग, सीसीटीवी केमरों और रात्रि में लाईटिंग के लिए विद्युत की सीमित आवश्यकता की पूर्ति के लिए उसके द्वारा अनावेदक अनुज्ञप्तिधारी कंपनी म0प्र0 पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी से मई 2018 में 33 के.व्ही. पर एक उच्चदाब कनेक्शन प्राप्त किया है, जिस पर HT Temprary HV - 3.1. टैरिफ श्रेणी लागू हैं । इस उच्चदाब कनेक्शन से आवश्यकता अनुसार विद्युत प्राप्त करने के लिए उसके द्वारा 50 kva क्षमता के ट्रांसफार्मर की स्थापना की गई है ।

(iii) कनेक्शन की दिनांक से माह जून 2019 तक आवेदक द्वारा दर्ज उनके परिसर की मीटर में दर्ज अधिकतम मांग के आंकड़ो से साबित है कि माह जनवरी, 2019 को छोड़कर इसके पूर्व के माहों तथा जनवरी, 2019 के बाद के पांच माहों में आवेदक के परिसर की औसत अधिकतम मांग 30 के.वी.ए. के लगभग दर्ज हुई है ।

(iv) आवेदक के परिसर में सौर ऊर्जा उत्पादन संयंत्र के ग्रिड से विद्युत संयोजन हेतु निम्नानुसार तीन मीटर की स्थापना की गई है ।

(a) परिसर में निर्मित "Pooling S/S" में एक **'मेन मीटर'** और दूसरा **'चेक मीटर'** पृथक–पृथक Double Pole Structures (DP) पर स्थापित ।

(b) अनावेदक के अति उच्चदाब उपकेन्द्र पर एक '**स्टेण्ड बाय** मीटर' स्थापित ।

(c) उक्त तीनों मीटर समान तकनीकी विवरण (Technical Specification) के तथा 'Secure' मेक के हैं जो आवेदक द्वारा स्वयं क्रय कर उपलब्ध करवाये गए हैं । बिलिंग हेतु मैन मीटर द्वारा दर्ज खपत ली जाती है ।

(v) आवेदक ने अपनी अपील के साथ आवेदक द्वारा फोरम के समक्ष प्रस्तुत तीनों मीटरों की लोड सर्वे रिपोर्ट प्रस्तुत की हैं, जिसके अनुसार दिनांक 09.01.2019 शाम को 6.00 से 6.15 के मध्य Import Mode में अधिकतम मांग 1120 के.वी.ए. दर्ज है ।

(vi) माह जनवरी 2019 में आवेदक के उच्चदाब कनेक्शन की अधिकतम मांग (MD) 'Shoot up' होकर 1120 के.व्ही.ए. दर्ज होने पर अनावेदक ने उन्हें लागू टैरिफ अनुसार जनवरी 2019 माह के लिए 7,77,483/– का बिल जारी किया ।

(vii) दर्ज हुई 1120 केवीए की एम.डी. तथा इसके लिए जनवरी 2019 के लिए रू0 7,77,483/– के जारी देयक के विरूद्ध आवेदक ने इस आधार पर आपत्ति लेते हुए कि कनेक्शन दिनांक से उनकी औसत मासिक उच्चतम मांग केवल 30 के.वी. के आसपास रही है फोरम के समक्ष शिकायत प्रस्तुत की जो प्रकरण क्रमांक W0437419 पर दर्ज की गई । फोरम द्वारा प्रकरण में सुनवाई कर अपने आदेश दिनांक 13.11.2019 से आवेदक की शिकायत अस्वीकार कर दी गई।

(viii) फोरम के उक्त आदेश से असंतुष्ट होकर आवेदक ने प्रश्नाधीन लिखित अपीलीय अभ्यावेदन प्रस्तुत किया है ।

08. आवेदक की प्रस्तुत अपील में तथा विभिन्न सुनवाईयों में उनकी ओर से निम्नानुसार लिखित/मौखिक कथन एवं तर्क प्रस्तुत किए गए :–

(i) उनकी औसत मासिक अधिकतम मांग (Maximum Demand) हमेशा 30 केवीए के लगभग रही है और उनकी विद्युत आवश्यकता किसी भी परिस्थिति में इतनी नहीं है कि माह जनवरी 2019 में यह इस औसत से लगभग 38 गुना ज्यादा हो जावे ।

(ii) सौर संयंत्र को चलाने के लिए बहुत कम विद्युत की आवश्यकता होती है जो केवल इनवर्टर/ट्रांसफार्मर की बेक चार्जिंग, सीसीटीवी के मदों तथा रात्रि के प्रकाश आदि के लिए होती है और इस कारण उनके कनेक्शन की मासिक खपत बहुत कम है जो कि उनकी 30 के.व्ही. की औसत मासिक खपत से स्पष्ट है ।

(iii) बिजली कंपनी से विद्युत प्राप्त करने के लिए उनके द्वारा 50 के.व्ही.ए. क्षमता का अर्थात् केवल Auxilliary use के लिए ट्रांसफार्मर लगाया गया है, जो कि उनके 24 से 40 के.व्ही.ए. के मासिक उपयोग से स्पष्ट है ।

(iv) औसत खपत के रिकार्ड के आधार पर आवेदक के पक्ष में निर्धारण किया जाना था । फोरम ने इस तथ्य के बावजूद कि वर्तमान प्रकरण में न तो अनावेदक न ही आवेदक उपभोक्ता मीटर द्वारा जनवरी 2019 में दर्ज अधिक भार का कारण बताने की स्थिति में है, आवेदक की शिकायत अस्वीकार कर गंभीर त्रुटि की है ।

(v) फोरम ने किसी स्वतंत्र संस्था से मीटर टेस्टिंग की रिपोर्ट नहीं बुलवाकर वैधानिक त्रुटि की है। फोरम के समक्ष कोई टेस्ट रिपोर्ट नहीं होने पर भी केवल मेन्युफेक्चरिंग कंपनी मेसर्स सिक्योर के विश्लेषण प्रतिवेदन पर मीटर द्वारा दर्ज 1120 के.वी.ए. उच्चदाब मांग को सही मानने का अवैधानिक कृत्य किया है ।

(vi) मेन्युफेक्चरिंग कंपनी ने भी स्पष्ट रूप से अपनी टेस्ट रिपोर्ट में उल्लेख किया है कि बाह्य कारण जैसे कि केपेसिटर बैंक या बाह्य उपकरण की खराबी के कारण अधिक एम.डी. दर्ज हुई थी, किन्तु फोरम में इसको नहीं मानते हुए अवैधानिक कृत्य किया है ।

(vii) संयंत्र में लगे सभी मीटरों को दिनांक 09.01.2019 से 01.02.2019 के मध्य अनावेदक द्वारा फार्मेटिंग कर नया साफ्टवेयर अपलोड कर शुन्य रीडिंग पर स्थापित किया गया जो संदेह उत्पन्न करता है ।

उपरोक्त कथनों/तर्कों के आधार पर आवेदक ने उसकी अपील स्वीकार कर माह जनवरी 2019 के लिए अनावेदक अनुज्ञप्तिधारी द्वारा जारी रूपए 7,77,483/– को उनके औसत मासिक बिल की राशि लगभग रूपए 70,000/– के लिए संशोधित/पुनरीक्षित करने संबंधी आदेश पारित करने संबंधी मांग की है । इसके साथ ही अवैधानिक रूप से उनके उच्चदाब संयोजन का विच्छेदन करने से 3 दिन में उत्पादन की हुई क्षति फलस्वरूप 1.91 लाख रू0 प्रतिदिन के

हिसाब से 5.73 लाख रू0 की आर्थिक क्षति की मय ब्याज के प्रतिपूर्ति किए जाने की मांग की है ।

09. प्रकरण में अनावेदक की ओर से लिखित रूप से निम्न कथन/तर्क प्रस्तुत किए गए हैं :–

(1) आवेदक के मैन मीटर स.क्र. Y0351366 में दिनांक 09.01.2019 को आवेदक उपभोक्ता की अधिकतम मांग 1120 के.व्ही.ए. तक 'Shoot up' हुई थी जिसके फलस्वरूप स्थाई प्रभार की मद में 7,14,000/– रू0 तथा न्युनतम खपत की मद में 40,300/– रूपए की बिलिंग 40,300/– रू0 की बिलिंग जनवरी 2019 में की गई । यह बिलिंग वर्ष 2018–19 के टैरिफ आदेश की HV - 3.1 (औद्योगिक) टैरिफ श्रेणी के अनुसार की गई है । इससे संबंधित प्रावधान टैरिफ आदेश के 'renual Terms and Conditions' की कण्डिका 1.5 के अनुसार की गई है जो निम्नानुसार है :–

> "**Clause 1.5 - Billing demand :** The billing demand for the month shall be the actual maximum KVA demand of the consumer during the month or 90% of the contract demand, whichever is higher. In case power is availed through open access, the billing demand for the month shall be acutual maximum KVA demand during the month excluding the demand availed through open access for the period for which open access is availed or 90% of the contract demand, whichever is higher, subject to clause 3.4 of the M.P. Electricity Supply Code, 2013.

(2) आवेदक द्वारा 'अधिकतम मांग (MD)' 'Shoot up' होने के कारण की गई बिलिंग के विरूद्ध ग्रिड साईड की ओरी तकनीकी समस्या होने का कारण आरोपित करते हुए शिकायत की गई थी । आवेदक की इस शिकायत पर समुचित कार्यवाही की गई तथा मैन मीटर, चेक मीटर और स्टेण्डबाई मीटर के विश्लेषण उपरान्त यह पाया गया कि 1120 के.वी.ए. की अधिकतम मांग (MD) तीनों मीटरों में एक ही दिनांक और एक ही समय पर दर्ज हुई है जिससे स्पष्ट है कि आवेदक के मीटर में दर्ज हुई अधिकतम मांग (MD) सही है ।

(3) फोरम के समक्ष प्रकरण को म0प्र0 विद्युत प्रदाय संहिता 2013 की कण्डिका 8.35 के अन्तर्गत विचारित करने संबंधी आवेदक का कथन प्रचलन योग्य नहीं है क्योंकि प्रश्नाधीन प्रकरण 'त्रुटिपूर्ण मीटर' का नहीं है ।

(4) दिनांक 09.01.2019 को लोड सर्वे रिपोर्ट भी अनावेदक कंपनी द्वारा की गई बिलिंग का समर्थन करती है ।

10. उपरोक्त के अतिरिक्त अनावेदक की ओर से विभिन्न सुनवाईयों में निम्नानुसार कथन/तर्क प्रस्तुत किए गए :–

(i) आवेदक के सोलर प्लांट के लिए लगाए गए मीटरों में एक ही समय में समान उच्चतम मांग दर्ज हुई है अर्थात् आवेदक के परिसर में स्थापित मैन मीटर एवं चैक मीटर दोनों में 1120 केवीए तथा 132 केवीए उपकेन्द्र पर स्थापित मीटर में 1124 केवीए उच्चतम मांग दिनांक 09 जनवरी 2019 को शाम 6.00 से 6.15 के ब्लाक में दर्ज हुई है।

(ii) उनका तर्क है कि कोई भी मीटर त्रुटि उत्पन्न होने पर मालफंक्शन कर सकता है, किन्तु स्थापित तीनों मीटर एक साथ और एक ही समय में मालफंक्शन नहीं कर सकते ।

(iii) मेन मीटर जिसके आधार पर बिलिंग की जा रही थी को मेन्युफैक्चरिंग कम्पनी सिक्योर मीटर्स लिमिटेड द्वारा टेस्ट किया गया है, जिसमें मीटर की कार्य–प्रणाली सुचारू पाई गई है ।

(iv) प्रारंभ से लेकर प्रश्नाधीन माह जनवरी 2019 सहित आज दिनांक तक तीनों स्थापित मीटरों की रीडिंग में एकरूपता है तथा कभी भी किसी भी एक मीटर की रीडिंग अन्य स्थापित मीटरों से अलग नही पाई गई है । इस आधार पर आवेदक का यह कथन कि माह जनवरी 2019 में मीटरों की त्रुटिपूर्ण कार्यप्रणाली के कारण उनकी एम0डी0 अधिक दर्ज हुई है तथा इस त्रुटिपूर्ण रीडिंग (एम.डी) के अनुसार इस माह की बिलिंग पूर्व के तीन माहों में दर्ज एम0डी0 के औसत के आधार पर किया जाना चाहिए पूर्णतः आधारहीन एवं असत्य होकर स्थापित नियमों के विरूद्ध है क्योंकि केवल स्थापित मीटर की त्रुटिपूर्ण कार्यप्रणाली सिद्ध होने/पाए जाने पर ही म0प्र0 विद्युत प्रदाय संहिता 2013 की कण्डिका 8.35 के प्रावधान अनुसार औसत खपत के आधार पर बिलिंग की जा सकती है । अतः आवेदक की अपील सव्यय निरस्त किए जाने योग्य है ।

11. आवेदक की अपील, विभिन्न सुनवाईयों में उभयपक्षों द्वारा अपने समर्थन में किए गए प्रस्तुतीकरण, प्रस्तुत कथन/तर्क/साक्ष्यों के आधार पर प्रकरण की विवचेना की गई, जिसमें निम्न तथ्य पाए गए –

i) दिनांक 09.01.2019 को शाम के 6.00 से 6.15 के समय अन्तराल में आवेदक के परिसर के मेन मीटर में 1120 के.वी.ए. अधिकतम मांग (MD) दर्ज हुई और इसी समय आवेदक के परिसर में स्थापित 'चेक मीटर' और अति उच्चदाब उपकेन्द्र पर स्थापित 'स्टेण्ड बाय मीटर' में समान रूप से 1120 के.व्ही.ए. अधिकतम मांग (MD) दर्ज हुई, जिसकी पुष्टि इन मीटरों की लोड सर्वे रिपोर्ट से होती है । आवेदक की ओर से इन

लोड सर्वे रिपोर्ट पर कोई विरोध/आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गई है । वास्तव में आवेदक स्वयं ने ये रिपोर्टस् अपनी अपील के साथ संलग्न कर प्रस्तुत की हैं ।

ii) आवेदक के कनेक्शन की बिलिंग के लिए स्थापित चैक मीटर की जांच अनावेदक द्वारा उत्पादन कंपनी मेसर्स सिक्योर (SECURE) से करवाई गईं तथा प्रस्तुत जांच रिपोर्ट से ज्ञात होता है कि जांच में मीटर की कार्यप्रणाली संतोषजनक पाई गई है ।

iii) चूंकि मेन मीटर के अतिरिक्त स्थापित अन्य 2 मीटरों अर्थात् उपभोक्ता परिसर में स्थापित 'चेक मीटर' और अति उच्चदाब उपकेन्द्र पर स्थापित 'स्टेण्डबाई' मीटर में भी कथित समय अन्तराल में समान रूप से 1120 केवीए अधिकतम मांग दर्ज हुई हैं, अतः मैन मीटर की कार्यप्रणाली पर संदेह को कोई आधार नहीं है । क्योंकि तीनों की मीटर में एक ही समय एक ही Magnitude की त्रुटि उत्पन्न होना संभव नहीं है । इन्हीं मीटर द्वारा जनवरी, 2019 के बाद के माहों में भी बिना किसी विसंगति के समान खपत/एम.डी. दर्ज की गई है क्योंकि आवेदक द्वारा इस संबंध में कोई विरोध प्रस्तुत नहीं किया गया है ।

iv) आवेदक द्वारा मीटर की कार्य प्रणाली पर प्रश्न चिन्ह लगाते हुए जनवरी 2019 माह की बिलिंग Law of average billing" के अनुसार पूर्ववर्ती 3 माहों में दर्ज एम0डी0 के आधार पर किया जाने संबंधी तर्क प्रस्तुत किया है । इस संबंध में म0प्र0 विद्युत प्रदाय संहिता 2013 की कण्डिका 8.35 का अवलोकन किया गया, जो निम्नानुसार उद्घृत हैं:–

"8.35. The billing for the duration when the meter remains dysfunctional may be done in the following manner :

(a) In case a check-meter is available, the readings of the same may be used for assessment of consumption.

(b) In case, if during the period when the main meter is defective, the check meter is not installed or is also found defective, the quantity of electricity supplied shall be determined on the basis of average monthly consumption of previous three meter reading cycles. However, if the meter is found defective within three months of the date of connection, the quantity of electricity may be assessed on the basis of average monthly consumption of three meter reading cycles recorded by new meter ; provided that if in the opinion of the licensee, the conditions in the consumer's installation during the month in question were such as to render billing on such average consumption not equitable either to the consumer or to the licensee, the electricity supplied during such period shall be determined by the in charge of the (local area circle in case of EHT/HT consumers and incharge of the distribution centre in case of LT consumer) licensee. In the event of the

consumer not being satisfied with such determination, he may appeal to the in charge of the local Region in case of EHT/HT consumers and incharge of the Sub-Division in case of LT consumer whose decision shall be final.

(c) The licensee, in absence of proper assessment immediately, may issue bill on provisional basis to the consumer on the basis of average monthly consumption of previous three meter reading cycles subject to revision at a later date.

उक्त कण्डिका से स्पष्ट है कि उपभोक्ता के परिसर में स्थापित मीटर त्रुटिपूर्ण पाए जाने पर ही इस कण्डिका में निहित प्रावधानानुसार बिलिंग किया जाना है । किन्तु प्रस्तुत साक्ष्यों एवं मीटर मेन्युफेक्चरर द्वारा मैन मीटर की टेस्टिंग में मीटर की कार्य प्रणाली सुचारू पाए जाने के आधार पर मीटर को त्रुटिपूर्ण माने जाने का कोई आधार प्राप्त नहीं होता है । अतः आवेदक का यह तर्क की माह जनवरी 2019 में मीटर द्वारा त्रुटिपूर्ण अधिकतम मांग दर्ज की गई थी स्वीकार किए जाने योग्य नहीं पाया जाता है।

(v) जहां तक आवेदक के इस कथन का प्रश्न है कि सभी मीटरों को दिनांक 09.01.2019 से 01.02.2019 के मध्य अनावेदक द्वारा फार्मेटिंग कर नया साफ्टवेयर अपलोड कर शुन्य रीडिंग पर स्थापित किया गया जो संदेह उत्पन्न करता है, इसके संबंध में फोरम की नस्ती के अवलोकन से ज्ञात होता है कि दिनांक 07.11.2019 की सुनवाई में अनावेदक अनुज्ञप्तिधारी के अधीक्षण यंत्री (मीटर परीक्षण), इन्दौर के पत्र क्र0 645 दिनांक 06.11.2019 की प्रति प्रस्तुत की गई थी, जिसमें निम्नानुसार उल्लेख हैः–

> ''State Load Dispatch Centre (SLDC), जबलपुर द्वारा अपने पत्र क्र. 3233 दिनांक 13.11.18 के माध्यम से सूचित किया गया था कि मेसर्स डिजाइनको मैन्युफैंक्चर एवं एक्सपोर्टर (5 मेगा वॉट) सोलर जेनरेटिंग स्टेशन पर स्थापित एबीटी मीटर लोड सर्वे के बजाय Sliding window के प्रिंसिपल पर 15 मिनट ब्लॉक वार डेटा दर्ज कर रहे हैं । इस प्रकार ब्लाक बार डेटा मीडनाइट वेल्यु से मेच नहीं होते हैं ।
>
> एसएलडीसी जबलपुर द्वारा अपने पत्र में यह भी चाहा गया था कि संबंधित अधिकारी इंटरफेस पॉइंट पर लगे एबीटी मीटर को 15 मिनट के ब्लॉक का लोड सर्वे रिकार्ड करने हेतु मेसर्स सिक्योर से रिकानफिगर/रिप्लेसमेन्ट करावे (पत्र की प्रति संलग्न) ।
>
> इसके अतिरिक्त फोरम द्वारा मेसर्स सिक्योर से चाही गई मीटर क्र. Y0351366 की रिपोर्ट भी संलग्न है । इसके क्र. 06 पर सिक्योर कंपनी की स्पष्ट टीप अंकित है एवं मीटर द्वारा रिकार्ड किया गया डाटा सही माना गया है ।
>
> कृपया नोट करें कि एमडी ओवरशूट होने का संबंध मीटर के रिकान्फ्युग्रेशन से नहीं है। इस संबंध में मीटर में दर्ज एमडी 1120 के.व्ही.ए. दिनांक 09.01.19 को दर्ज हुई है। जबकि इस कार्यालय द्वारा दिनांक 22.01.19 को मीटर

रिकान्फ्युग्रेशन हेतु निर्देश दिए गए, जिसके आधार पर दिनांक 24.01.19 को मेसर्स डिजाइनको मैन्युफैंक्चर एवं एक्सपोर्टर के परिसर में स्थापित मैन मीटर क्र. Y0351366 प्रोग्रामिंग के लिए निकाल कर सिक्योर कंपनी में भेजा गया था।''

इसके साथ संलग्न SLDC के पत्र दिनांक 13.11.2018 की प्रति तथा Operation and Coordination Committee (OCC) of M.P. की 66 वीं मीटिंग के एजेण्डा के बिन्दु क्र0 8.8 से उक्त निर्देश दिए जाने की पुष्टि होती हैं । इस बिन्दु का संबंधित अंश निम्नानुसार उद्घृत हैं :–

'The ABT meters installed at the following Solar Generating Stations are recording the 15 minutes block wise data on slinding window principal thus blockwise data do not match with midnight data. The concerned officials are requested to ensure that ABT meters installed at interface points shall record load survey data in 15 minutes time block. Further concerned EE(T)'s are requested to advice RE Generators for immediate replacement of these ABT meters.

i. 5 MW Designco Manufacturer & Exporter connected at 132 KV S/s Amiyakala.

ii. 12 MW Avenger solar pvt. Ltd. connected at 132 KV S/s Suwasara.

DCC, Indore & Bhopal is requested to take-up the issue with concerned officials for time synchronization and replacement of ABT meters.'

उक्त तथ्यों के प्रकाश में आवेदक का कथन कि अनावेदक द्वारा फार्मेटिंग कर तथा नया साफ्टवेअर अपलोड कर शुन्य रीडिंग पर मीटरों को स्थापित किया जाना संदेह उत्पन्न करता है स्वीकार योग्य नहीं पाया जाता है ।

12. जहां तक आवेदक द्वारा अपनी अपील में 3 दिवस के उत्पादन की क्षति के लिए 5.73 लाख रूपए की आर्थिक क्षतिपूर्ति की मांग किए जाने का प्रश्न हैं, यह लोकपाल के क्षैत्राधिकार के अंतर्गत नहीं होने से इस मांग को स्वीकार किया जाना लोकपाल के लिए वैधानिक रूप से संभव नहीं है, अतः इसे अस्वीकार किया जाना न्यायोचित होगा । तथापि आवेदक इसके लिए उसे उपलब्ध अन्य विकल्पों के अंतर्गत कार्यवाही करने के लिए स्वतंत्र है ।

13. विवेचना में फोरम के आदेश दिनांक 13.11.2019 का अवलोकन किया गया । आदेश में फोरम का अभिमत एवं पारित निर्णय निम्नानुसार है :–

"Observation and Openion of the Forum :-

It is observed in the case that the applicant is having a HT Connection for their 5 MW Solar Plant in the name of M/s Designco Manufacturer and Exporter and is used when solar plant does not work during night hours or any time. The Billing of aforesaid HT connection is done with HV 3-1 tariff for temporary connection. The applicant came before Hon'ble forum as per direction of Hon'ble High Court bench at Indore with direction Passed in the order dated 08-08-2019 in W.P. No. 15799/2019 as below :-

"The Grievance Redressal Forum is the competent authority to examine the bill, consumption and demand of electricity. The Petitioner received the bill in the month of January 2019, However approach the forum only on 30-07-2019 and immediately approach the this court. Let Grievance Redressal Forum Consider the grievance of the petitioner."

The applicant complained that they have been billed with 1120 KVA MD in the month of January - 19 which is abnormally high as their use is limited to only around 30 KVA per month. Further they submitted that the installed capacity of transformer for drawing power of the company is only 50 KVA for auxiliary use, which is limited to 24 KVA. As such they requested the Forum to revise the 1120 KVA MD considering the previous consumption and MD. They have mentioned the supply code 11.10 related to Unforeseen Circumstances and Supply Code 8.35 for giving relief in the matter.

It is also observed that the disputed MD 1120 KVA appearing in the bill of January - 19 was recorded on the same date and time in following meters:-

01. Main meter used as billing meter.
02. Check meter.
    Both there meters installed in the premises of 5 MW solar generators.
03. Stand by meter installed on the 33 KV feeder at 132 KV sub-station.
    It is also observed that as per the instructions of the Forum the main meter Secure make Serial Number Y0351366 was got tested at the meter manufacture. The observations of M/s Secure while analyzing the problem are as follow :-

    01. No abnormal flag set found in reading data
    02. As per Consumption data, mainly meter runs in export mode.
    03. As per data high MD (1120 KVA) was logged on 9th Jan 2019 on 18.05 hrs in Import mode (load survey type : Sliding Window)
    04. Laod survey data checked and no abonormality found except that earlier meter was run in Quadrant II and 17:45 hrs onward

meter was run in Quadrant IV. Reactive energy was logged is 1116 hence high apparent energy was logged 11:20.

05. It seems that capacitor bank was connected or any external device is malcunctioning so high reactive logged was logged on 10th Jan 2019 on 06:45 (1044 KVA) also.
06. Accuracy of meter was check and found within standard, hence no problem in Meter.
07. Meter was manufactured in 2017 and reading done on 24th Jan 2019.
08. Meter re-customized in Jan 2019 so it is not showing high MD in load survey now.

No problem found in meter and High MD was logged due to external reason (Capacitor Bank or External device malfunctioning).

Thus based on the records/evidences, the Forum is of the opinion hat thorough analysis was done by M/s Secure Company (the meter manufacturer), for finding out the cause of recording 1120 KVA MD as per the report dated 31.10.2019 submitted by them. The report clearly observed that no problem found in meter and High MD was logged due to external reason (Capacitor Bank or External device malfunctioning). Accuracy of meter was also checked and found within standard limits. No problem in meter was noticed. Moreover the billing meter as well as other two meters installed in the system recorded the MD 1120 KVA on the same date and time i.e. on 9th Jan 2019 on 1805 Hrs in import mode. Thus as per aforesaid observation it appears that the meter correctly recorded 1120 KVA MD in the month of Jan 2019. Thus the applicant may pay the bill of January 2019 having recorded MD 1120 KVA.

As for as the objection raised by the applicant for reconfiguration of the meter is concerned, the SE (MT-I) of non-applicant submitted that MD 1120 KVA was recorded on 09.01.2019 while main meter was removed on dated 23.01.2019 and sent to M/s Secure Company for reconfiguration.

Decision of the Forum :-

01. The petition of Applicant is rejected.

02. Thorough analysis was done by M/s Secure Company (the meter manufacturer) for finding out the cause of recording 1120 KVA MD as per the report dated 31.10-2019 submitted by them. The report clearly observed that no problem found in meter and High MD was logged due to external reason (Capacitor Bank or External device malfunctioning.) Accuracy of meter was also checked and found within standard limits. No problem in meter was noticed. Moerover the billing meter as well as other two meters installed in the system recorded the MD 1120 KVA on the same date and time i.e. on 9th Jan 2019 on 1805 Hrs in import mode. Thus as per aforesaid observation the meter correctly recorded 1120 KVA MD in the month of Jan

2019. Thus the applicant should pay the bill of January 2019 having recorded MD 1120 KVA.
The petition is hereby allowed and order is passed as above.

14. आवेदक के परिसर में स्थापित मेन मीटर और चेक मीटर तथा EHV SIS की मोटर पर स्थापित स्टेण्ड बाय मीटर में 09.01.2019 की एक साथ एक ही समय अन्तराल में समान रूप से एम.डी. दर्ज होने, मेन मीटर की जांच उत्पादक कंपनी (Manufactures Company) से कराए जाने पर मीटर की कार्यप्रणाली संतोषजनक पाई जाने तथा प्रश्नाधीन माह जनवरी 2019 के पूर्व एवं आगामी माहों में भी इन मीटरों द्वारा दर्ज खपत/एम.डी. में एकरूपता होने से स्थापित मेन मीटर की कार्यप्रणाली संतोषजनक तथा मेनमीटर द्वारा त्रुटिपूर्ण अधिकतम मांग (MD) दर्ज किए जाने संबंधी आवेदक द्वारा किया गया कथन स्वीकार योग्य नहीं पाए जाने तथा फोरम द्वारा दिनांक 13.11.2019 को पारित आदेश में कोई त्रुटि नहीं पाई जाने संबंधी निष्कर्ष प्राप्त होता है, अतः आवेदक की अपील अस्वीकार किया जाना न्यायोचित होगा ।

15. प्रकरण में की गई विवेचना तथा प्राप्त निष्कर्षों के आधार पर आवेदक की अपील अस्वीकार करते हुए फोरम का आदेश दिनांक 13.11.2019 यथावत् रखे जाने का निर्णय पारित किया जाता है ।

16. आदेश की निःशुल्क प्रति के साथ उभय पक्षकार एवं फोरम अलग से सूचित हों और फोरम का अभिलेख वापिस हो ।

विद्युत लोकपाल